न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–190/2012–13

उत्तम सिंह

बनाम

सरकार

अधिवक्ता अपीलार्थी : श्री अरूण सक्सेना

अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री विनोद डिमरी , जि0शा0अ0(रा0)

बावत

मौजा ग्राम–सिंगटाली, पट्टी–दोगी,
तहसील व जनपद टिहरी गढ़वाल

निर्णय

यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रथम अपील संख्या–2/2011–12 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल बनाम उत्तमसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 03–09–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी/अपीलार्थी के एक घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा–229बी ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम–सिंगटाली, पट्टी–दोगी, जिला–टिहरी गढ़वाल के खतौनी–1415 फसली के खाता संख्या–55 के खसरा नं0–1258 मध्य रकवा–0.113 हे0 एवं खसरा संख्या–1259 मध्य रकवा–0.518 कुल रकवा–0.613 हे0 भूमि पर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से अपने पुरखों के जीवनकाल से शांतिपूर्व एवं निरन्तर कब्जा कास्त बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है। अतः उक्त भूमि पर वादीगणों को संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया गया है।

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर ने वाद को अपने आदेश दिनांक 09–11–2010 से निस्तारित करते हुए वादीगणों को उक्त भूमि पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 09–11–2010 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रथम अपील योजित की गई। जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 03–09–2013 से स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–11–2010 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगणों द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी तथा अवर न्यायालयों की पत्रावली का भली–भांति अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि ग्राम–सिंगटाली, पट्टी–दोगी, जिला–टिहरी गढ़वाल में खेती के खतौनी–1415 फसली के खाता संख्या–55 के खसरा नं0–1258 मध्य रकवा–0.113 हे0 एवं खसरा संख्या–1259 मध्य रकवा–0.518 कुल रकवा–0.613 हे0 भूमि पर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से शांतिपूर्वक एवं निरन्तर कब्जा कास्त

बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को प्रारम्भ से रही है। यह कि वादीगण/अपीलार्थी दावी भूमि पर मौसमी फसल उगाते आ रहे हैं और वर्तमान में भी विभिन्न प्रकार के फसलें उगा रखी हैं तथा विभिन्न प्रकार के फलदार एवं अन्य प्रकार के वृक्ष भी लगा रखे हैं। दावी भूमि को गलत प्रकार से दर्याबुर्द दिखाते हुए राज्य सरकार में निहित किया गया है कि इस भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अन्तर्गत धारा–4(1) सार्वजनिक भू0ग्रा0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली का वाद विहित प्राधिकारी, नरेन्द्र नगर समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे आदेश दिनांक 22–01–1998 से अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णीत किया गया। उक्त आदेश दिनांक 22–01–1998 यथावत रखा गया। आदेश दिनांक 28–10–1998 के विरूद्ध अपीलार्थीगणों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट संख्या–2503/2001 योजित की गई। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने आदेश दिनांक 29–10–2005 से अपीलार्थीगणों की रिट याचिका स्वीकार कर निर्देश दिये गये कि वादी दावी भूमि को अपने नाम करने हेतु धारा–229बी ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत घोषणात्मक वाद दायर करें। अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्णित रिट में दिये गये निर्देशानुसार सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर के समक्ष घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, द्वारा सभी पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अपीलार्थीगणों का वाद स्वीकार करते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर दावी भूमि पर घोषित किया गया है। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा सरसरी तौर पर दावी भूमि को नॉन0जेड0ए0 की भूमि मानते हुए अवर न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है। जबकि अपीलार्थी का दावी भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षों से काबिज कास्त चले आ रहे हैं। साबिक बन्दोबस्त से पूर्व भी दावी भूमि राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थीगणों के पूर्वजों के नाम दर्ज चली आ रही है। अभिलेखों में जो इन्द्राज दर्याबुर्द चली आ रही है वह किस सक्षम अधिकारी के आदेश से अंकित है इसका कोई प्रमाण अभिलेखों में स्पष्ट नही है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व का कथन था कि दावी भूमि अभिलेखों में जंमीदारी विनाश रहित कृषि योग्य बंजर भूमि दर्ज है जिसपर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भूमिधरी अधिकार नही दिया जा सकता है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विरूद्ध है और विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसमत् है तथा स्थिर रहने योग्य है।

मैंने अवर न्यायालय की मूलवाद पत्रावली का अध्ययन किया एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली में जो नकल मुन्तखित खतौनी लगाई गई है उसमें दावी भूमि मूल भूमिधरों के नाम अंकित है तथा कैफियत में यह दर्ज किया गया है कि इस खाते मध्य कुछ भूमि दर्याबुर्द हो गई है लेकिन किसी सक्षम अधिकारी के आदेश का इसमें उल्लेख नही है जबकि अपीलार्थीगणों के पिता एवं अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि दर्याबुर्द का अंकन अभिलेखों में होने से पूर्व दावी भूमि अपीलार्थीगणों के पूर्वजों के नाम दर्ज चली आ रही थी।

वादीगण द्वारा अपने वाद की पुष्टि में 04 गवाहान का परीक्षण करवाया गया तथा साबिक मुन्तखिब खाता संख्या–8, 9, 10 व 14 की नकल हाल बन्दोबस्ती साफ खसरा की नकल मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश की प्रति प्रेषित की गई है।

पी0डब्लू(1) डब्बल सिंह पुत्र स्व0 मोती सिंह पी0डब्लू(2) इन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री परबल सिंह पी0डब्लू(3) वादी उत्तम सिंह पुत्र शत्रु सिंह व पी0डब्लू(4) पदम सिंह पुत्र सत्ये सिंह सभी निवासीगण ग्राम–सिंगटाली पट्टी–दोगी, टिहरी गढ़वाल सभी गवाहों द्वारा अपने सशपथ कथनों में वादीगण के वाद पत्र की पुष्टि करते हुए कहा है कि दावी भूमि

लगभग 32–33 नाली होगी दावी खेतों पर पहले वादीगण के पिता व उसके पश्चात वादीगण का पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर शांतिपूर्वक बिना किसी अवरोध कब्जा कास्त चला आ रहा है दावी भूमि पर वादीगण के अलावा अन्य किसी का कब्जा कास्त नही है। वादीगण दावी भूमि पर वर्षात में झंगोरा, मंडवा, उड़द, तिल आदि की फसलें एवं जाड़ों में गेहूँ व जौ की फसल उगाते हैं।

पी0डब्लू–3 वादी उत्तम सिंह ने अपने बयानो में यह भी कहा है कि हमारे कब्जे की जानकारी सम्पूर्ण ग्रामवासियों को पूर्व से ही रही है, दावी भूमि उखड़ है, दावी भूमि पर हमारा कब्जा होने व राजस्व अभिलेखों में उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज होने की दशा में क्षेत्रीय पटवारी द्वारा वादीगण का धारा–4(1)सा0भू0गृ0बे0अधि0 के अन्तर्गत गलत चालान किया गया है जिस पर श्रीमान विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा 22–01–1998 को वादीगणों के बेदखल करने का आदेश पारित किये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा हमारी दावी भूमि पर दीर्घकालीन कब्जा होने की दशा में धारा–229बी का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वादी ने यह भी कहा है कि दावी भूमि खाता संख्या–558 के खसरा नं0–1258 नं0–0.113 हे0 एवं खसरा नं0–1259 नं0 रकवा–0.518 हे0 जिनकी कुल रकवा–0.631 होता है। दावी भूमि साबिक बन्दोबस्त में वादीगण के दादा आदि एवं अन्य खातेदारों के नाम दर्ज अभिलेख है।

डी0डब्लू–1 श्री रमेश चन्द पटवारी नाई का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया। पटवारी ने अपने सशपथ कथनों में कहा कि मैं वर्तमान समय में पटवारी क्षेत्र नाई में तैनात हूँ और न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम–सिंगटाली के नोण्डया तोक में मय नक्शा, खसरा, खतौनी के जाँच पर गया और वादी खसरा संख्या–1258, रकवा–0.113 हे0 व खसरा नं0–1259 रकवा–518 हे0 की जाँच मौके पर अभिलेखों के अनुसार की दावी खसरें वर्तमान खतौनी ग्राम–सिंगटाली, पट्टी–दोगी के खाता सख्या–55 श्रेणी 14 कृषि योग्य बंजर भूमि उत्तर प्रदेश सरकार वर्ग 10(4) में सरकार के नाम दर्ज है, दावी खसरों का पूर्व में नकल मुन्तखिब खतौनी मौजा सिंगटाली के खाता संख्या–10 व 8 में पुराने नं0–933, 932, 934, 925, 926, 927, 928 में दर्ज है उस पर वादी के पिता शत्रु पुत्र प्रबलू व अन्य खातेदार जोगी सिंह पत्र बैशाखू के नाम दर्ज अभिलेख थी इसी नकल मुन्तखिब खतौनी (साबिक बन्दोबस्त) में खाना कैफियत में यह सम्पूर्ण भूमि दर्याबुर्द अंकित है। पटवारी ने यही भी कहा कि मेरे द्वारा मौके पर पूछताछ करने पर पाया गया कि दावी खसरों पर वादीगण का वर्तमान में कब्जा कास्त है, मौके पर कब्जे की जानकारी मुझे 1 अप्रैल, 2008 जब से मैं वहां पर कार्यरत हूँ तभी से है इससे पहले की मुझे जानकारी नही है। प्रतिपक्षीगण में पटवारी ने कहा है कि दावी भूमि पर वर्तमान में वादीगण द्वारा उड़द, गहत व तिल की फसल उगा रखी है, दावी भूमि पर वादीगण द्वारा आम, अमरूद, मौसमी, शहतूत की के वृक्ष लगे हैं। पटवारी ने अपने बयानों में भी बताया कि वर्तमान में दावी खेत दर्याबुर्द नहीं है, बल्कि उन पर खेती बाड़ी हो रही है, और कहा कि मेरे स्थल जाँच के दौरान गाँव के कुछ लोगों ने दावी भूमि पर 100 साल से अधिक का कब्जा होना बताया गया है, दावी भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज अभिलेख हैं जैसा कि साबिक बन्दोबस्ती अभिलेखों में दर्ज है। पटवारी के बयानों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान में दावी खेत दर्याबुर्द नहीं है बल्कि उन पर खेती बाड़ी हो रही है और स्थल जाँच के दौरान गाँव के कुछ लोगों ने दावी भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होना बताया है।

मैंने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में अपीलार्थीगण द्वारा उनके विरूद्व सार्वजनिक भू–गृहादि बेदखली अधिनियम की धारा–4(1) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्व योजित रिट याचिका संख्या–2503 वर्ष 2001(पुराना नम्बर 39622 वर्ष 1998) उत्तम सिंह आदि बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णयादेश का भी अवलोकन किया जिसमें यह स्पष्ट

किया गया है कि अभिलेखों के अनुसार अपीलार्थीगण का कब्जा विगत 100 वर्षों से सिद्ध होता है और अभिलेखों के आधार पर अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–229बी के अन्तर्गत वाद सक्षम न्यायालय में योजित कर सकते हैं। अतः मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयादेश से भी अपीलार्थीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर सिद्व होता है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर ने अपने निर्णयादेश में भी यह स्पष्ट किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त विगत 100 वर्षों से है और उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के परिशीलन से यह पाया है कि विवादित दावी भूमि जो पूर्व साबिक बन्दोबस्त में दर्याबुर्द थी वह किस अधिकारी के आदेश से की गई है इसकी कोई जानकारी अभिलेखों में इन्द्राज नहीं है क्योंकि कोई भी भूमि की श्रेणी परिवर्तन बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के मान्य नहीं है और यह प्रतीत होता कि तत्समय मौके पर क्षेत्रीय पटवारी द्वारा ही खतौनी में विवादित दावी भूमि को दरियाबुर्द दिखाया गया है और विवादित भूमि आम कृषि योग्य भूमि है। सहायक कलेक्टर के निर्णयादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण/अपीलार्थीगण के कब्जे की पुष्टि पूर्व में धारा–4(1) सार्वजनिक भू–गृहादि बेदखली अधिनियम के चालान से होती है। जहाँ तक विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश का प्रश्न है तो विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अपने निर्णयादेश में की गई विवेचना में यह उल्लिखित किया गया है कि वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर मौखिक साक्ष्यों के आधार पर ही सिद्व होता है न कि अभिलेखीय आधार पर। इस सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर के निर्णयादेश में यह स्पष्ट विवेचना की गई है कि अभिलेखों के आधार पर वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा सिद्व पाया गया है और मा0 उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयादेश में अभिलेखों में वादीगण/अपीलार्थीगण का कब्जा सिद्व होना पाया है जिसके आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण को विवादित भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–229बी के अन्तर्गत वाद योजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश में त्रुटि है जो निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में बलयुक्त होने के कारण द्वितीय अपील स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अपर आयुक्त का निर्णयादेश दिनांक 03–09–2013 निरस्त किया जाता है एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर द्वारा पारित आदेश/डिक्री दिनांक 09–11–2010 की पुष्टि की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

19/10/15

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 19/10/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

19/10/15

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।